क्रमांक 1040-3 जी०एस०-II-75/32129

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त, अम्बाला तथा हिसार मण्डल, सभी उपायुक्त तथा सभी उप मण्डल अधिकारी (सिविल) हरियाणा में।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ तथा सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरियाणा में।

दिनांक चण्डीगढ़ 29 अक्तूबर, 1975।

विषय – सेवा अवधि के दौरान मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रहपूर्वक अनुदान व अन्य सुविधाएं देना-मृतकों के नाबालिग बच्चों के नाम स्वीकृत अनुदान की राशि को फिक्सड डिपाजिट में जमा करवाना।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय पर हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 9054-4जी0एस0-II-70/32230, दिनांक 22दिसम्बर, 1970 तथा इस विषय पर समय समय पर जारी की गई हिदायतों की ओर दिलाने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान नीति के अनुसार मृतक कर्मचारी के नाबालिग सदस्यों के नाम जो राशि स्वीकृत की जाती है उसे फिक्सड डिपाजिट में जमा करवा दिया जाता है ताकि उनके बालिग होने पर यह राशि उनको अदा की जा सके। इस मामले पर पुनः विचार करने पर यह अनुभव किया गया है कि कुछ ऐसे केसों में नाबालिग बच्चों के गार्डियन की आर्थिक दशा काफी कमजोर होने के कारण बच्चों की पढाई तथा देखभाल में काफी कठिनाई उत्पन्न होती है, विशेष तौर पर जब गार्डियन अपंग हो, अशक्त हो तथा उसकी रोजी/आय का कोई साधन नहीं। इसलिये सरकार ने यह निर्णय लिया है कि फिक्सड डिपाजिट पर लगे ब्याज की राशि नाबालिग बच्चों के गार्डियन को प्रतिमाह दे दी जाए। परन्तु ऐसा करते समय यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि मासिक ब्याज की राशि बच्चों की भलाई पर ठीक प्रकार से व्यय हो और इस राशि का गार्डियन द्वारा दुरुपयोग न हो। इसके अन्तर्गत फिक्सड डिपाजिट पर लगे ब्याज की अदायगी केवल उन्हीं केसों में की जाएगी जहां गार्डियन द्वारा इसके लिये विशेष प्रार्थना की गई हो तथा उसके अपंग, अशक्त तथा रोजी/आय के साधन न होने का प्रमाण विभाग की ओर से दिया गया हो।

2. आपसे अनुरोध है कि भविष्य में जब भी ऐसी प्रार्थना प्राप्त हो तो इसकी सिफारिश करते समय उक्त प्रमाण देते हुए यह सिफारिश की जाए कि फिक्सड डिपाजिट की राशि पर लगे ब्याज की राशि मृतक के नाबालिग बच्चों को उनके गार्डियन के माध्यम से देना आवश्यक है और इस राशि का गार्डियन द्वारा सदुपयोग होगा। साथ में गार्डियन का नाम तथा पूरा पता भी सूचित किया जाए।

3. कृपया इन हिदायतों की दृढ़ता से पालना की जाए तथा इस पत्र की पावती भेजी जाए।

हस्ता/-
अवर सचिव, न्यायाचार,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।